

“वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) की कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन”

आप सभी को सूचित किया जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी बिल) के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हेतु बुद्धवार दिनांक 17-8-2016 को “शाह आडीटोरियम” श्री दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 में सायं 5.00 बजे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पधारें अपमा के पूर्व प्रधान श्री विराट सौंधी जी, श्री चन्द्र ओबराय जी, श्री कीमती जैन जी, श्री नरेन्द्र मदान जी, निवर्तमान प्रधान श्री शंकरलाल अग्रवाल जी सहित अपमा सदस्यों सहित दिल्ली की विभिन्न-विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

अपमा प्रधान सहित समस्त कार्यकारिणी श्री गुलशन सेठो जी मै० ऑटो इलेक्ट्रीक सिंडिकेट एवं यस बैंक के अधिकारी श्री विजयेन्द्रा कुमार शर्मा जी एवं श्री अभिषेक मिश्रा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, इनके आर्थिक सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

वस्तु और सेवा कर के विषय पर(जीएसटी बिल) के अन्तर्गत हमें किन-किन तरीकों से कर प्रणाली का लाभ उठाना है और किस प्रकार हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं और इस कानून के अनुरूप क्या धारारें बनाई गयी है, वह कितनी हमारे पक्ष में है या विरोध में है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हेतु कार्यशाला में पधारें प्रसिद्ध वकील श्री सुशील वर्मा जी तथा श्री राकेश गर्ग जी ने स्लाईड स्क्रीन (Projector) के माध्यम से जीएसटी के विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिये। अपमा के पूर्व प्रधान श्री विराट सौंधी जी, श्री नरेन्द्र मदान जी एवं कन्फैडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खण्डेलवाल जी ने जीएसटी के विषय पर अपने विचार रखे। उपस्थित सदस्यों ने जीएसटी के विषय पर अपना ज्ञान बढ़ाया एवं अपने प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी प्राप्त की। परन्तु अपेक्षा से बहुत ही कम सदस्यों ने कार्यशाला में पधारकर जीएसटी के विषय पर अपना ज्ञान बढ़ाया।

साथियों, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) के विषय पर चर्चा करने हेतु समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को सरकूलर के माध्यम से दी जाएगी ताकि व्यापारी भाई कार्यशाला में आकर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव

सरकूलर नं0: अपमा/2014—2016/361

साथियों, स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा करके व्यापारियों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। हम इस विषय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, श्रममंत्री से मिल रहे हैं व अपमा की ओर से ज्ञापन भी दे रहे हैं कि न्यूनतम बढ़ोत्तरी जो की गई है वह गलत है।

आज बाजार वैसे ही मंदी दौर चल रहा है उस पर सरकार ने एक नयी मुसीबत हम पर डाल दी है जिसके कारण हम भविष्य में व्यापार नहीं कर पायेंगे।

साथियों, हमें इस न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी के विरोध में आन्दोलन व हड़ताल आदि भो करने पड़ेगे इसलिए आप सभी व्यापारी भाई इसके लिए अपने आप को तैयार रखें।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपमा द्वारा किसी भी प्रकार का आन्दोलन, हड़ताल की घोषणा होती है तो आप सभी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। आपके सहयोग बिना हम किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते हैं, आपका सहयोग आवश्यक है।

“सुरक्षित भविष्य के लिए कार्यरत आपकी अपनी संस्था “अपमा”

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव